रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230634
CG-DL-E-22102021-230634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
No. 493] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/240/17/डीडी/224/टीएएमसी/आईएनएफ/2017/डीसी/1183/19.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751), द्वितीय तल, 592, III क्रॉस, एच एम टी लेआउट, बंगलुरु 560 032** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त **सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751)** पर, दिशा-निर्देशों में निर्धारित संख्या से अधिक संपरीक्षा किए गए प्रत्येक मामले के लिए 1000/- रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया, जो कुल मिलाकर केवल 4,90,000/- रुपए (रूपये चार लाख नब्बे हजार) मात्र बनता है, जो उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर देय था। अनुशासन समिति ने यह और आदेश दिया था कि यदि प्रत्यर्थी **सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751)** यथा-अनुबंधित समय, अर्थात् 03 (तीन) मास के भीतर अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उस के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। चूंकि प्रत्यर्थी यथा-अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने को जमा करने में असफल रहा है इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के

अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि **सीए. रविंद्र एम.सी. (सदस्यता संख्या 019751) का नाम, 22 अक्तूबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./357/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/240/17/DD/224/TAMC/INF/2017/DC/1183/19.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ravindra M C (Membership No. 019751), II Floor, 592, III Cross, H M T Layout, BENGALURU 560 032,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregates to Rs. 4,90,000/- (Rupees Four Lakh Ninety Thousand) only which was payable within 3 months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, **CA. Ravindra M C (Membership No. 019751),** fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 months, his name should be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ravindra M C (Membership No. 019751), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 22nd October, 2021.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./357/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.22 22:32:49 +05'30'